डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लि.

भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited

A Govt. of India (Ministry of Railways) Enterprise

No. 2020/HQ/Admin/RTI-610 **New Delhi: 17.08.2020**

Sh. Visvambhar Nath Tripathi
S/o **Late Sh. Girdhari Lal Tripathi**
37 Malviya Nagar, Aishbagh
Lucknow-226004
Mobile-8960606098

Subject: Providing information w.r.t. Original Application received under the RTI Act.2005.

Reference: Your RTI application dated 18.07.2020 received in this office on 07.08.2020.

Information as obtained from the concerned record holding office is attached.

Hope the above information is complete and satisfactory. If not, then you can appeal within 30 days of receipt of the letter to the 1st Appellate Authority whose name and address is as under;

Ms. R. P. Chhibber
GM/Administration DFCCIL,
5th Floor, Supreme Court Metro Station Building,
Pragati Maidan, New Delhi-110001.

17/08/20

(S.K. Roy)
Dy. G.M/Admn.(PIO)
E-mail: skroy@dfcc.co.in
011-23454707

DA:14sheets

डेडीकेटेड फ्रेट कॉरीडोर कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
(रेल मंत्रालय का उपक्रम)
DEDICATED FREIGHT CORRIDOR CORPORATION OF INDIA LIMITED
(AN UNDERTAKING OF MINISTRY OF RAILWAYS)
डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर

पत्रांक सं0– CNB/EN/RTI/16(A)/ Y-20/M-8/ (03)   Date- 10-08-2020

सेवा में,

मुख्य महाप्रबन्धक,
डी0एफ0सी0सी0आई0एल0,
टुण्डला (आगरा)

विषयः– श्री विश्वभरनाथ त्रिपाठी, 37, मालवीय नगर,ऐशबाग, लखनऊ–226004, द्वारा सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत मांगी गई सूचना दिनांक 29.07.2020 के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :– उप महाप्रबन्धक/एण्मीन (पीआईओ), नई दिल्ली का पत्र सं0 2020/HQ/ADMIN/RTI-610 दिनांक 07.08.2020 (संलग्नक सहित)

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें।

सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत, विश्वभरनाथ त्रिपाठी, 37, मालवीय नगर,ऐशबाग, लखनऊ–226004 पत्र दिनांक 29.07.2020 जो डी0जी0एम0/पी0आई0ओ0, नई दिल्ली को सम्बोधित हैं, उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विद्युत टुण्डला ईमेल दिनांक 07 अगस्त 2020 को संलग्नक के रूप में इस कार्यालय में ई–मेल के माध्यम से प्राप्त हुई हैं। प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना का उत्तर निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित है:–

क्रम सं0	प्रार्थी द्वारा मांगी गई सूचना	दी जाने वाली सूचना
1.	1. रेलवे फाटक सं. 100सी से ग्राम को आबादी की तरफ मुख्य सी.सी. रोड, राजस्व अभिलेखों के अनुसार कितनी चौड़ी है। सूचना वांछित है।	रेलवे फाटक सं0 100सी से ग्राम की आबदी की तरफ मुख्य सी0सी0 रोड, राजस्व अभिलेखों के अनुसार लगभग 5 मी0 चौड़ा हैं।
2.	2. रेलवे फाटक सं. 100सी से गांव की आबादी की तरफ निर्माणाधीन अधोगामी समपार का मार्गदर्शक मानचित्र/साईट प्लान (नक्शा नजरी) तथा जिन सम्पत्तियों पर निर्माण होना है का पूर्ण मानचित्र, पक्षकारों के नाम, मकान नम्बर, साईट स्थिति मुख्य रोड दर्शाते हुये। वांछित है।	क.राजस्व विभाग द्वारा प्रमाणित संयुक्त जॉच आख्या के आधार पर निर्मित नजरी नक्शा (संलग्नक–1) ख. राजस्व विभाग द्वारा निर्गत भू–चित्र (संलग्नक–2) ग. राजस्व विभाग, कानपुर देहात तह0–डेरापुर द्वारा प्रमाणित संयुक्त जॉच आख्या की छायाप्रति संलग्न (पक्षकारों के नाम, मकान, नम्बर)की जा रही हैं। (संलग्नक–3)
3.	3. निर्माणाधीन अधोगामी समपार में बारिश के कारण जल भराव के सुनिश्चित निस्तारण की क्या कार्ययोजना/व्यवस्था है। सूचना वांछित है।	निर्माणाधीन अधोगामी समपार में बारिश के कारण जल भराव हेतु डी0एफ0सी0सी0 एंव रेलवे की ओर दोनो तरफ से कवर शेड की व्यवस्था स्वीकृत Drawing के अनुसार की गई हैं।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail– bsjaryal@dfcc.co.in, Website www.dfccil.gov.in

4.	निर्माणाधीन अधोगामी समपार में अंधेरे के निराकरण के लिये रोशनी की क्या व्यवस्था/प्राविधान है। अन्यथा की स्थिति में जन मानस व वाहनोंके आने जाने में होने वाली भारी कठिनाई के साथ भीषण दुर्घटना की सम्भावना के निराकरण की कोई कार्ययोजना है कि नहीं। स्पष्ट सूचना वांछित है।	इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं हैं।
5.	5. निर्माणाधीन अधोगामी समपार के लिये प्रभावित भूमि पर (जिसका आवंटन या पट्टा पक्षकारों को नहीं हुआ) ऐसे लोगों को भू पर स्थित सिर्फ भवन/परि सम्पत्ति का प्रतिकर देय धनराशि की नोटिस देते हुये सूचित किया गया है कि उनको काबिज भूमि का प्रतिकर नियमानुसार देय नहीं है। इस सम्बन्ध में निम्नवत् सूचना वांछित है। क. कथित नियम/कानून की धारा जिसके अन्तर्गत सिर्फ परिसम्पत्ति का प्रतिकर देय है। सूचना वांछित। ख. प्रभावित गृह स्थलों के विद्यमान स्वामियों का पुश्तैनी निवास स्थल है अतः विधिक (कानून) के प्राविधान उ.प्र. राजस्व संहिता 2016 की धारा 67(क) तथा राजस्व नियमावली 2016 के नियम 68 के अनुसार गृह स्थलों के विद्यमान स्वामी भू स्थल और उस पर स्थित भवन/परिसम्पत्ति के विधिक रूप से स्वामी हैं और प्रतिकार भुगतान के अधिकारी हैं। अतः सूचित करने की कृपा करें कि उक्त विधिक प्राविधान विषयगत परिक्षेत्र में प्रयोज्य है कि नहीं और उसी अनुसार भू स्वत्व का भुगतान देय है कि नहीं। स्पष्ट सूचना वांछित है।	मद–5 के बिन्दु (क) के सम्बन्ध में, राजस्व अनुभाग–13 के अर्न्तगत, उ0प्र0 शासन का पत्र संख्या –1472/एक–13–12–8ख(9)/2012 दिनांक 14 दिसम्बर 2012 जारी किया गया है। जिसमे आबादी भूमि के अधिग्रहण/पुर्नग्रहण के सम्बन्ध में दिशा निर्देश दिये गये हैं। जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं। **(संलग्नक–4)** मद–5 के बिन्दु (ख) के सम्बन्ध में, उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 के बिन्दु 67क व 68 का स्पष्टीकरण दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं । **(संलग्नक–5)** यहाँ यह भी अवगत कराना हैं कि डी0एफ0सी0सी0आई0एल0 परियोजना हेतु सीधी खरीद प्रकिया के अर्न्तगत क्रय की जाने वाली भूमि/परिसम्पत्ति का दर का निर्धारण मा0 अपर जिलाधिकारी (वि/रा0) महोदय की अध्यक्षता में गठित कमेटी द्वारा किया जाता हैं। जिसके उपरान्त सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदन प्राप्त किया जाता हैं। अनुमोदनोपरांत प्रभावित भूस्वामीधारको/परिसम्पतिधारको को भुगतान नियमानुसार किया जाता हैं।
6.	6. प्रभावित लोगों को निर्मित भवन/परि सम्पत्ति के कुल देय प्रतिकर का निर्धारण 100 प्रतिशत सोलेशियम सहित कुल देय धनराशि की नोटिस दी गयी है। लेकिन कथित सोलेशियम को परिभाषित या उसकी व्याख्या या स्पष्टीकरण नहीं किया गया है इसके अतिरिक्त 100 प्रतिशत का अतिरिक्त निर्धारण किस आधार और नियम के अन्तर्गत किया गया है। अतः इस सम्बन्ध पूर्ण और स्पष्ट सूचना स्पष्टीकरण सहित देने का अनुरोध है।	इस सम्बन्ध में भूमि अधिनियम एक्ट "भूमि अधिग्रहण, पुनरुद्धार, पुनर्वासन में उचित प्रतिकार तथा पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" के पृष्ठ सं0 37–38 में पूर्ण स्पष्टीकरण दिया गया है। जिसकी छायाप्रति संलग्न हैं। (संलग्नक–6)

कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होते हुए सूचना के सम्बन्ध में अग्रेतर/आवश्यक कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

जरयाल 10/8/202

उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक
डी.एफ.सी.सी.आई.एल/कानपुर।

प्रतिलिपिः– उप मुख्य परियोजना प्रबन्धक/विद्युत, डी0एफ0सी0सी0आई0एल0, टुण्डला को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

Office Of Dy.Chief Project Manager:-117/H2/180 Block, Pandu Nagar, Kanpur – 208025
Telefax: 0512-,2225124 Mobile 7060803012 E mail– bsjaryal@dfcc.co.in, *Website* www.dfccil.gov.in

Typed by-Anjali